कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

सत्र 2016–17 में नवीन प्रवेश की तिथि बढ़ा कर दिनांक 31.07.16 की गई है। इसी प्रकार प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं व्याख्याता की डीपीसी उपरांत उक्त पदों पर काउन्सलिंग उपरांत पदस्थापन आदेश जारी किये जा चुके है। ये पदस्थापित कार्मिक भी आदेश में उल्लेखित कार्यग्रहण की अंतिम दिनांक 30.07.16 है, तक अपना कार्य ग्रहण करेंगे। अध्यापक लेवल 1 एवं 2 के अध्यापकों को भी राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 6 डी के तहत समायोजित कर माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापित किया जा चुका है। ऐसे में अधिकांश विद्यालयों में स्टॉफ उपलब्ध कराया जा चुका है। इनमें से कतिपय अध्यापकों द्वारा अपने नवीन विद्यालय हेतु कार्यमुक्त न होने अथवा नवीन विद्यालय में कार्य ग्रहण नहीं करने से विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। कहीं कहीं विद्यालयों में तालाबंदी की सूचनाऐं भी प्राप्त हो रही है, जिस के लिये सबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान अपने प्रबंधकीय दायित्व को नहीं निभाने के लिये, अथवा विद्यालय से अन्यत्र पदस्थापित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करने, शालादर्पण पर अपडेट नहीं करने के लिये उत्तरदायी है, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त तालाबंदी की स्थिति न आए इसके लिये निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है:–

1 निदेशालय, कार्यालय उपनिदेशक तथा कार्यालय जिशिअ में इस हेतु नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। निदेशालय में उक्त के प्रभारी सहायक निदेशक शालादर्पण होंगे और जिनका सहयोग अनुसंधान अधिकारी माध्यमिक अनुभाग होंगे। उक्त निदेशालय के **नियन्त्रण कक्ष का दूरभाष कार्यालय 0151–2544043** होगा। माध्यमिक अनुभाग के मा–द के कनिष्ठ लिपिक प्रति दिवस सूचनाओं का संधारण रजिस्टर में करेंगे। उप निदेशक एवं जिशिअ कार्यालयों में उक्त नियन्त्रण कक्ष के शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी अथवा सहायक निदेशक उत्तरदायी होंगे एवं अधीनस्थ क्षेत्र की सूचना अथवा आवश्यक कार्यवाही/प्रस्ताव निदेशालय नियन्त्रण कक्ष को प्रति दिवस सांय 5.00 बजे तक देंगे।

2 निदेशालय में प्राप्त सूचनाओं में विभागीय कार्यवाही संबंधी कार्य तत्काल प्रभाव से विभागीय जांच अनुभाग द्वारा किया जायेगा, इस हेतु जहां से जो प्रस्ताव/औपचारिकता आवश्यक हो प्राप्त की जाएगी। इसके लिये सहायक निदेशक (विभागीय जांच) कार्यालय हाजा उत्तरदायी होंगे। पदस्थापन/समायोजन संबंधित सूचनाऐं नियन्त्रण कक्ष द्वारा सबंधित संस्थापन अनुभाग ए, बी, सी अथवा एफ जिससे संबंधित हो को देंगे, जिस पर उनके द्वारा उसी दिवस कार्यवाही कर नियन्त्रण कक्ष को सूचित किया जाएगा।

3 प्रारंभिक शिक्षा के संबंधित परिवेदना एवं सूचनाओं को प्रारंभिक शिक्षा को भेजा जाऐ। प्रारंभिक शिक्षा मे इस हेतु श्री अजय चौपडा उप निदेशक उत्तरदायी रहेंगे।

संस्था प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि यह तालाबन्दी के कारणों एवं परिस्थितियों का निवारण पूर्व में कर लें, जो तालाबंदी के कारण बन सकते है। तालाबंदी हेतु उकसाने वाले शिक्षक अथवा संस्थाप्रधान के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के साथ–साथ राजकाज में बाधा पहुचांने वाली कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(बी.एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कमांक–शिविरा/माध्य/मा–द/तालाबंदी/2016 दिनांक 25.07.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतः–

1 शासन सचिव, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर
2 निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
3 विशिष्ट सहायक , शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर
4 समस्त उप निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा /जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम/द्वितीय (माध्य/प्रार)
5 समस्त ग्रुप अधिकारी कार्यालय हाजा /सहायक निदेशक माध्य/एबी/सी/एफ/वि.जांच कार्या.हाजा
8 संबंधित अधिकारी
9 रक्षित पत्रावली

निदेशक